# दुरुपयोग से सुरक्षा: POCSO अधिनियम, किशोर यौन संबंध पर

**किशोर यौन संबंध को अपराध बनाना POCSO अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर करेगा**

# POCSO अधिनियम को समझना

### मुख्य उद्देश्य

बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है।

### वर्तमान परिभाषा

POCSO अधिनियम की धारा 2(d) के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति "बच्चा" माना जाता है और उनकी सहमति कानूनी रूप से अप्रासंगिक है।

### कानूनी परिणाम

POCSO अधिनियम की धारा 6, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 और IPC और BNS के प्रावधानों के तहत कठोर सजा।

# बढ़ती चिंता

देश भर की अदालतों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को देखने के बाद POCSO अधिनियम में छूट की मांग की है:

- 15 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को स्वैच्छिक संबंधों में सताया जा रहा है
- किशोरों के बीच सहमति से यौन गतिविधि को अपराधी बनाया जा रहा है
- कानून के सुरक्षात्मक इरादे का गैर-शोषणकारी संबंधों में दुरुपयोग किया जा रहा है

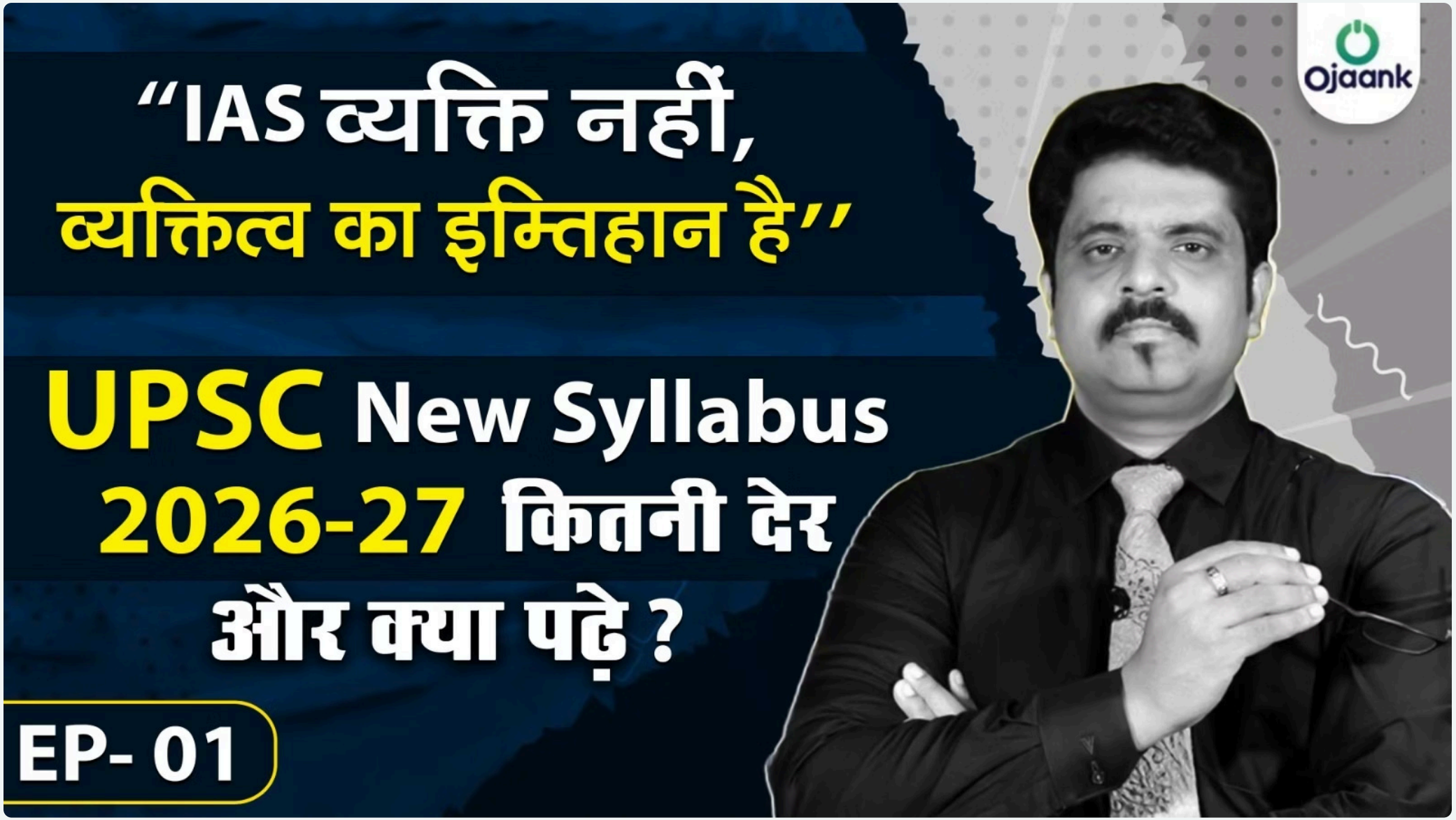
"IAS व्यक्ति नहीं,
व्यक्तित्व का इम्तिहान है"
UPSC New Syllabus
2026-27 कितनी देर
और क्या पढ़े ?
EP- 01
Ojaank

# एमिकस क्यूरी सबमिशन

> "इस तरह का अपवाद क़ानून के सुरक्षात्मक इरादे को बरकरार रखेगा, जबकि किशोर संबंधों के खिलाफ इसके दुरुपयोग को रोकेगा जो प्रकृति में शोषणकारी नहीं हैं।"

### इंदिरा जयसिंह का प्रस्ताव

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जिन्हें एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया, ने प्रस्तुत किया कि 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

### सहमति की उम्र को चुनौती

उनके संक्षिप्त विवरण ने सहमति की उम्र के रूप में 18 वर्ष के पदनाम को चुनौती दी, जिसमें 16 को "यौन परिपक्वता की लगभग सार्वभौमिक उम्र" बताया गया।

### अनुशंसित अपवाद

पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 (यौन अपराध) में एक अपवाद पढ़ने के लिए कहा गया।

# विधि आयोग का रुख

## 2023 की रिपोर्ट के निष्कर्ष

विधि आयोग ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में सहमति की उम्र बदलने का विरोध किया।

इसके बजाय, इसने स्वैच्छिक, सहमतिपूर्ण संबंधों में शामिल 16 से 18 वर्ष के बच्चों से जुड़े मामलों में सजा सुनाने में "निर्देशित न्यायिक विवेक" की सलाह दी।

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य किशोर संबंधों की मान्यता के साथ सुरक्षा को संतुलित करना है।

# मद्रास उच्च न्यायालय का सुझाव

1. **2021 मामला**

   विजयलक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि (2021) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण चेतावनियाँ दीं।

2. **आयु अंतर अनुशंसा**

   अदालत ने प्रस्तावित किया कि सहमति से बने संबंधों में उम्र का अंतर पाँच साल से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. **तर्क**

   यह सीमा सुनिश्चित करेगी कि एक प्रभावशाली उम्र की लड़की का किसी बड़े व्यक्ति द्वारा फायदा न उठाया जाए।

# Sure Shot Prelims
# 200 Days Challenge

previously एकलव्य IAS 2026

Online | Bilingual

## Self Study Program
### With RFR Method

**क्लास जाए बिना करें तैयारी**

50% Off

~~Rs. 20,000~~ **Rs. 10,000**

7678530567/8750711155

8285894079

# सुरक्षा और वास्तविकता को संतुलित करना

### कमजोर बच्चों की रक्षा करें

नाबालिगों से जुड़े गैर-सहमति वाले, शोषणकारी यौन अपराधों के खिलाफ मजबूत कानूनी सुरक्षा बनाए रखें

### किशोर वास्तविकता को पहचानें

यह स्वीकार करें कि समान उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बनने वाले संबंध आम हैं और शोषण से अलग हैं

### शिक्षा आवश्यक है

किशोरों को यौन अपराधों पर कानून और इसके परिणामों के बारे में शिक्षित करें

# निष्कर्ष: आगे का रास्ता

सामान्य किशोर व्यवहार को अपराधी बनाना यौन अपराधों से बचाने का तरीका नहीं है। एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है:

- किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अपवाद
- POCSO अधिनियम के सुरक्षात्मक इरादे को बनाए रखना
- मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए आयु-अंतर प्रावधानों पर विचार करना
- सहमति और कानूनी परिणामों के बारे में व्यापक शिक्षा

# Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें

IAS with Ojaank Sir

8285894079

Ojaank_Sir

8285894079

IAS with Ojaank Sir